न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा संख्या– 10/2020
: प्रस्तुति दिनांक–13.02.2020
र्णय दिनांक–03.03.2022

गोविन्दा पुत्र घन्ना जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.) वादी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
2. रामप्रसाद पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. गिर्राज पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
4. केदार पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

प्रतिवादीगण

क्ता वादी–श्री कैलाश चौधरी
क्ता प्रतिवादीगण–अनुपस्थित

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

राज0टि0एक्ट की धारा 88, 188, 92–ए के तहत् वादपत्र

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की तन्हा खातेदारी व काश्त की भूमि ख0न0 1521 रकबा 00–09 बीघा वाके ग्राम हाडीकलां पटवार हल्का हाड़ीकलां तह0 पीपलू टोंक में स्थित है। जिसका अंकन खाता संख्या 109 ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जमाबंदी संवत् 2074–77 रखा हैं। वादी अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को शांतिपूर्ण ढ़ंग से काश्त करके अपना ने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा हैं। वादी की खातेदारी की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की ओर 0न0 1522 रकबा 00–01 बीघा सरकारी भूमि हैं। जो मोटूका से हाड़ीकलां जाने वाले रास्ते के अड़वा हैं। वादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में हाड़ीकलां से मोटूका जाने वाले आम रास्ते से होते त सरकारी बंजड़ भूमि में से होकर अपनी खातेदारी की भूमि में वर्षो से आता जाता रहा है। उक्त भूमि 1522 रास्ते के रूप में उपयोग मे आती रही हैं। वादी की खातेदारी की भूमि ख0न0 1521 व सरकारी मि ख0न0 1522 के पास ही प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि ख0न0 1523 है। प्रतिवादी का रकारी भूमि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं हैं। किन्तु प्रतिवादीगण जो कि लडाकू व झगडालू प्रवृति है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि में जो जाने का रास्ता ख0न0 1522 में होकर जाता है। स्ते को बन्द कर दिया तथा वादी की भूमि में उसके कब्जे काश्त में मजामहत करने लग गये हैं। इस

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं संगत है कि वे वादी को उसकी भूमि ख0न0 1522 में होकर आने जाने में रूकावट पैदा नहीं करे। वादी ने में फसल काश्त करने में रूकावट उपयोग, उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल थत रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई हैं।

वादी गोविन्दा पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम हाड़ीकलां तह0 पीपलू ने अपने शपथ पत्र में बताया खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 1521 रकबा 00–09 बीघा वाके ग्राम हाड़ीकलां में स्थित है। जिसका में खातेदार काबिज काश्तकार हूँ और वर्षो से अपनी खातेदारी की भूमि पर शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक काश्त करता चला आ रहा हूँ। मेरी खातेदारी की भूमि ख0न0 1521 व नक्शा शीट में तरमीमशुदा रास्ते ख0न0 1522 रकबा 00–01 बीघा स्थित है। जिसमें से शीट के रास्ते ख0न0 1522 में से होकर मेरे खेत जोतने के लिए वर्षो से आ जा रहा हूँ एवं रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ जो मेरे रास्ते के बीच पड़ता है। जो राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज हैं। अप्रार्थीगण नाजायज रूप से मेरे रास्ते कर उक्त ख0न0 1522 सिवायचक पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं वृद्ध एवं गरीब व्यक्ति हूँ एवं विकलांग का फायदा उठाकर मुझे जानबूझकर हेरान परेशान करते है जबकि उक्त ख0न0 1522 से प्रतिवादीगण संबंध नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो मेरी खातेदारी की भूमि ख0न0 1521 के उपयोग में आ रही भूमि ख0न0 1522 रकबा 00–01 बीघा पर नाजायज रूप से कब्जा कर रास्ते को करे व राजाराम दत्तक पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां ने अपने शपथ पत्र में बताया ातेदारान् एवं इनकी भूमियों को भली भांति जानता हूँ। भूमि ख0न0 1521 व नक्शा शीट में तरमीमशुदा बीच ख0न0 1522 है। जिसमें से शीट के रास्ते से ख0न0 1522 में से होकर खातेदार गोविन्दा अपने बोने जोतने क लिए वर्षो से आ जा रहा हैं तथा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा उसके खेत व रास्ते के बीच पड़ता है जो राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज हैं। अप्रार्थीगण नाजायज खातेदार गोविन्दा के रास्ते को बन्द कर उक्त ख0न0 1522 सिवायचक पर कब्जा करना चाहते हैं। वृद्ध एवं गरीब एवं विकलांग व्यक्ति हैं। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण जानबूझकर वादी गोविन्दा परेशान कर रहे हैं। जबकि उक्त ख0न0 1522 से अप्रार्थीगण को कोई संबंध सरोकार नहीं हैं। इसलिए ण को पाबन्द किया जावे कि वो गोविन्दा की खातेदारी की भूमि ख0न0 1521 के रास्ते के उपयोग में ाजकीय सिवायचक भूमि ख0न0 1522 पर नाजायज रूप से कब्जा कर रास्ते को बन्द नहीं करे।

धिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता वादी की एकतरफा ो गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादी की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि 521 रकबा 00–09 बीघा वाके ग्राम हाडीकलां पटवार हल्का हाड़ीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित का अंकन खाता संख्या 109 ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जमाबंदी संवत् 2074–77 में हो रखा हैं। वादी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करके अपना व अपने परिवार का न पोषण करता आ रहा है। वादी की खातेदारी की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की ओर भूमि ख0न0 1522 ा 00–01 बीघा सरकारी भूमि है। जो मोटूका से हाड़ीकलां जाने वाले रास्ते के अड़वा स्थित है। वादी अपनी दारी व कब्जे काश्त की भूमि मे हाडीकलां से मोटूका जाने वाले आम रास्ते से होते हुए उक्त सरकारी बंजड़ मे से होकर अपनी खातेदारी की भूमि मे वर्षो से आता जाता रहा है। उक्त भूमि ख0न0 1522 रास्ते के रूप पयोग मे आती रही है। वादी की खातेदारी की भूमि ख0न0 1521 व सरकारी बंजड़ भूमि ख0न0 1522 के ही प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि ख0न0 1523 है। प्रतिवादी का उक्त सरकारी भूमि से किसी का कोई संबंध नही है। किन्तु प्रतिवादीगण जो कि लडाकू व झगडालू प्रवृति के लोग है। प्रतिवादीगण ने की खातेदारी की भूमि में जो जाने का रास्ता ख0न0 1522 में होकर जाता है। उस रास्ते को बन्द कर तथा वादी की भूमि में उसके कब्जे काश्त में मजामहत करने लग गये हैं। इस कारण प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं कि वे वादी सकी भूमि ख0न0 1522 में होकर आने जाने मे रूकावट पैदा नहीं करे। वादी की भूमि में फसल काश्त ने रूकावट उपयोग, उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वादपत्र लोकन किया जिससे यह स्पष्ट हैं कि वादी अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 1521 रकबा 00–09 के ग्राम हाडीकलां में आने जाने हेतु भूमि ख0न0 1522 रकबा 00–01 बीघा में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाहता है। ख0न0 1522 रकबा 00–01 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होकर राजकीय क भूमि हैं। वादी द्वारा तहसीलदार पीपलू को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि क भूमि से संबंधित वाद संस्थित करने के लिए भूमिधारी के रूप में तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना हैं। पत्रावली पर कोई मौका रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। भूमि का अभिलिखित खातेदार दर्ज नहीं होने वादी प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं हैं। अतः वाद प्रथम ारहीन होने के आधार पर खारिज किया जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं ार नम्बर से कम हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)